न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 6/2020

बउनवानः—

1. रामदयाल
2. चतुर्भुज
3. रमेश चन्द पुत्रान स्व0 भैरूलाल जाति मीणा निवासी बोरदा तह0 मांगरोल जिला बारां

...प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

वकील प्रार्थीगण : श्री मनोज कुमार गालव

दायरा दिनांकः 03.07.2020

निर्णय दिनांक : 18.11.2020

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी खाता संख्या 718 खसरा नं0 22 रकबा 1.96 है0, खसरा नं0 23 रकबा 0.42 है0 किता 2 रकबा 2.38 है0 वाके ग्राम मांगरोल में वादीगण के पिता के खाते दर्ज हो रही है। जिसके साबिक खसरा नं0 23 मिन रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा थें जो सम्वत 2014—23 में प्रार्थीगण के स्वर्गीय भैरूलाल पुत्र माधो सा0 बोरदा के खाते दर्ज हो रही है। प्रार्थीगण के पिता मीणा अनुसूचित जनजाति वर्ग थें और प्रार्थी के पिता भैरूलाल पुत्र माधो साबिक खसरा नं0 23 जाति मीणा सेटलमेंट के पट्टे में दर्ज है। दौराने बन्दोबस्त कार्मिको ने सहवन से त्रुटिवश प्रार्थी के पिता की जाति मीणा के स्थान पर माली दर्ज कर दी है एवं साकिन बोरदा के स्थान पर मांगरोल दर्ज कर दिया उक्त त्रुटि भूलवश हुई है। अतः हाल खाता संख्या 718 खरा नं0 22 रकबा 1.96 है0, खसरा नं0 23 रकबा 0.42 है0 किता 2 रकबा 2.38 है0 राजस्व रेकार्ड वाके मांगरोल में भैरूलाल पुत्र माधो जाति माली के स्थान पर मीणा साकिन बोरदा दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] 03.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड हो[illegible] भी है को रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल ([illegible]/ राजस्व/[illegible]/372 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:52 IST
Reason: SelfAttested

19.08.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार कस्बा मांगरोल की आराजी खाता संख्या 718 खसरा नं0 22/1.96 है0, 23/0.42 है0 किता 2 रकबा 2.38 है0 में खातेदार भैरूलाल पुत्र माधो जाति माली सा0 देह को हजफ कर खातेदार भैरूलाल पुत्र माधो जाति मीणा सा0 बोरदा दर्ज किया जाना उचित होगा।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील प्रार्थी की दिनांक 18.11.2020 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न आवंटन पट्टा की प्रति तथा राशन, नकल जमाबंदी के आधार पर भी प्रार्थीगण के पिता की जाति मीणा का सत्यापन होता है। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 18.11.2020 को अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम मांगरोल की आराजी खाता संख्या खाता संख्या 718 खरा नं0 22 रकबा 1.96 है0, खसरा नं0 23 रकबा 0.42 है0 किता 2 रकबा 2.38 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज भैरूलाल पुत्र माधो जाति माली सा0 देह को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर भैरूलाल पुत्र माधो जाति मीणा सा0 बोरदा दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:52 IST
Reason: SelfAttested